राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनाक 08-09-2008 को प्रात 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 72 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–

निम्नाकित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	डॉ प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	चौधरी बहादुर सिंह गोदारा, विधायक	सदस्य
3.	श्री गोपाल सिंह	सदस्य
4.	डॉ उमा शंकर शर्मा	सदस्य
5.	श्री काशीनाथ पूनीयां, संयुक्त निदेशक (आयुक्त कृषि के नामित)	सदस्य
6.	डॉ के.एम.एल.पाठक	सदस्य
7.	श्री रतनलाल डागा	सदस्य
8.	डा ए.के. श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डा. जब्बर सिंह सोंलकी	सदस्य
10	डा. पी. एल. नेहरा	सदस्य
11	डॉ. स्वरूप सिंह	सदस्य
12	श्री आर. के पाल	सदस्य
13	डॉ आर.एन.कच्छावा	सदस्य
14.	श्री पाल सिहं	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. **श्री अरविन्द सिंह शेखावत, (वित्त नियंत्रक)**

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव कृषि, सचिव पशु पालन, डॉ एस.एस.आचार्य, सदस्य प्रबन्ध मण्डल बैठक में भाग नहीं ले सके ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने चौधरी बहादुरसिंह गोदारा, विधायक, श्री गोपाल सिंह, श्री काशीनाथ पूणियां व अन्य माननीय सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया साथ ही डॉ. भवानीसिंह, डॉ मधुसूदन शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ. एस.एस.आचार्य, श्री गोपालसिंह जी के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विशेष रूप से विश्वविद्यालय के लिये पॉलिसी निर्धारण करने संबंधी मामले ही माननीय सदस्यों द्वारा रखे जाएं । वित्तीय नियमों, अंकेक्षण आक्षेपों व विश्वविद्यालय / राज्यसरकार द्वारा निर्धारित नियमों संबंधित प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नहीं रखे जाएं उन पर उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1075	**70 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 71वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 22.02.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की 70 वीं बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 71वीं बैठक दिनॉक 22.2.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1076	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 22.02.2008 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की 71वीं बैठक दिनॉक 22.2.2008 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाएं एवं 70 वीं बैठक दिनॉक 01.11.2007 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाए :– **राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1060** माननीय सदस्यों को दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स के बारें में माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णय, राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटियों की निरीक्षण रिपोट, मंत्रीमण्डल के निर्णय, एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा 5 संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट को सदन को अवगत करवाया गया । साथ ही प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा के लिये सम्बद्व की गई सभी संस्थाओं का प्रति वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाएं और उसकी रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखी जाऐ । वर्ष 2008–09 के लिए सम्बद्वता समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार ही बढाई जाएं । **राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1064(5)** **डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य ने पेंशन विकल्प के पुनः लेने के बारें में पुर्नविचार की आवश्यकता बताई** कुलसचिव महोदय ने पेंशन पुर्नविकल्प प्रकरण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे एसएलपी सं0 11515 / 2008 विचाराधीन होने की जानकारी सदन के सामने रखी एवं विश्वविद्यालय में पेंशन फंड में धन की अत्यधिक कमी होने व राज्यसरकार से पेंशन फंड में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं एमपीयूटी उदयपुर के कार्मिकों को भी पेंशन देने में परेशानी हो रही हैं और निकट भविष्य में यदि पेंशन फंड में राज्यसरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं होती हैं तो विश्वविद्यालय वर्तमान पेंशनधारियों को भी पेंशन नहीं दे सकेगा इसलिये पेंशनधारी बढने पर और अधिक पेंशन फंड की कमी हो जाएगी । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि पेंशन अवधि की गणना इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कुछ

	निर्धारित विभागों में की गई सेवा अवधिं को सम्मिलित किये जाने के कारण पेंशन विकल्प के पुनः लेने के लिये सरकार को पत्र लिखकर इस बारें में राय मांगी जानी चाहिए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1077	**शैक्षणिक परिषद की 31वीं बैठक दिनॉक 24.07.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक परिषद की 31वीं बैठक दिनॉक 24.7.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1078	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश एफ.4(1–टी) / राकृवि / सी / 2007–08 / 1802 दिनॉक 15.2.08 एवं एफ.4 (1–आर / राकृवि / सी / 2003–04 / 1805 दिनॉक 18.2.2008 की पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1079	**वित्त समिति की बैठक दिनॉक 5.8.08 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनॉक 5.8.08 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1080	**विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2008–09 संशोधित अनुमान वर्ष 2007–08** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्याय अनुमान वर्ष 2008–09 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2007:08 का अनुमोदन किया जाए । साथ ही यह पारित किया गया कि भविष्य में वित्त नियत्रंक बजट बनाने से पूर्व समस्त अधिष्ठाता /निदेशक के साथ बैठक कर चर्चा करें । साथ ही जो बजट मिला हैं उसे आवश्यकतानुसार आवंटित करने हेतु समस्त शिक्षां/ अनुसंधान / प्रसार शिक्षा के अधिकारियों से विचार विमर्श करें ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1081	**विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के अनुमोदन बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 का अनुमोदन किया जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1082	**To consider the increase in the fee of university panel Advocates pleading cases at supreme court of India, Rajasthan high court and subordinate courts** The matter was discussed at length and it was resolved that fee structure for the panel advocates of University be increased as proposed. It was further resolved that atleast five panel advocates for each, Rajasthan High court Jodhpur and Jaipur should be included in the list of panel advocates.

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1083	**विश्वविद्यालय आदेश एफ / सामान्य / ग्रप–1 / राकृवि / 2008 / 244 दिनॉक 23.8.2008 की पुष्टि बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय आदेश एफ / सामान्य / ग्रुप 1 / राकृवि / 2008 / 244 दिनॉक 23.8.2008 की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1084	**नोटिफिकेशन कमांक सीओइ / राकृवि / गोपनीय / यूएम / 2008 / 356–374 दिनॉक 29.2.2008 बैठक में रिर्पोट करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि नोटिफिकेशन दिनॉक 29.2.2008 की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1085	**प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक प.18 (1)शिक्षा–4 / 2008 दिनॉक 16.5.2008 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में ग्रहण (Adopt) किया जाना** यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रमुख प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक प.18 (1)शिक्षा–4 / 2008 दिनॉक 16.5.2008 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में ग्रहण (Adopt) किया जाता हैं । साथ ही यह पारित किया गया कि सह आचार्य एवं कार्यक्रम समन्वयक की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती हैं अतः कार्यकम समन्वयक को कृषि विज्ञान केन्द्र में ही पदस्थापित किया जाए उन्हें अनुसंधान एवं टीचिंग में नहीं लगाया जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1086	**प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनॉक 03.08.2007 के निर्णय संख्या 1059 के संदर्भ में अपर सचिव शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त पत्र कमांक 6(6) / 5–एसीडीएन(शिक्षा) दिनॉक 28.12.2007 बैठक में रिर्पोट करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि अपर सचिव शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त पत्र कमांक 6(6) / 5–एसीडीएन(शिक्षा) दिनॉक 28.12.2007 की पुष्टि की जाती है।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1087	**एफ 1(60) / राकृवि / नियुक्ति / 2008 / 866 दिनॉक 13.2.2008 संलग्न विज्ञप्ति संख्या 1 / 2008 दिनॉक 13.2.2008 के अनुमोदन बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि पत्र कमांक एफ 1(60) / राकृवि / नियुक्ति / 2008 / 866 दिनॉक 13.2.2008 के साथ विज्ञप्ति संख्या 1 / 2008 दिनॉक 13.2.2008 का अनुमोदन किया जाता हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1088	**Short Term Corrigendum No 945 Dt. 10-4-2008 of Advt.1/2008 dt.13-2-2008 की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि Short Term Corrigendum No 945 Dt. 10-4-2008 of Advt.1/2008 dt.13-2-2008 की पुष्टि की जाती हैं ।

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1089	**आदेश क्रमांक एफ.4 (38) / राकृवि / नियुक्ति / 2008 / 965 दिनॉक 19.4.2008 मय फोरमेट पुष्टि हेतु।** यह पारित (Resolved) किया गया कि आदेश क्रमांक एफ.4 (38) / राकृवि / नियुक्ति / 2008 / 965 दिनॉक 19.4.2008 मय फोरमेट पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1090	**डॉ. एम.एस.फगेडिया, सहायक आचार्य, उद्यानिकी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा जयपुर को विश्वविद्यालय सेवा से निष्कासित करने** के संबंध में। प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि डॉ एम.एस.फगेडिया, सहायक आचार्य, उद्यानिकी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा–जयपुर को विश्वविद्यालय सेवाओं से निष्कासित (Removal) किया जाता हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1091	**डॉ. वी.के. यादव, सह–आचार्य, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर–जयपुर का अवैतनिक अवकाश समाप्ति उपरान्त दिनॉक 15.4.2007 से 29.5.2007 तक की अवधि का निर्धारण करने बाबत।** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि विशेष प्रकरण मानते हुए डॉ वी.के. यादव, सह आचार्य, श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के 15.4.2007 से 29.5.2007 कुल 45 दिनों की अवधि को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए । साथ ही कुलपति महोदय को भविष्य में ऐसे प्रकरणों को अपने स्तर पर निपटाने हेतु अधिकृत किया जाता हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1092	**स्व. श्री अनवर, भूतपूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के 989 दिनों के लम्बित अवकाश को अवैतनिक अवकाश में स्वीकृति करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि स्व0 श्री अनवर, भूतपूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रकरण पर मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनके 989 दिनों के लम्बित अवकाश को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाएं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1093	**माननीय विधायक नोहर द्वारा प्रेषित कार्यसूची पर विचार विमर्श बाबत।** माननीय विधायक महोदय द्वारा शिक्षकों की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ करने अशैक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिक्त पद भरने इत्यादि अनेक मुद्दों को सदन के सामने रखा साथ ही प्रबन्ध मण्डल की बैठक हर तीन माह से रखने और एजेन्डे को समय से पूर्व वितरित करने, किसानों को अनुसंधान व प्रसार का लाभ नहीं मिलने, खेजडी पर अनुसंधान नहीं होने, व साधनों का समुचित उपयोग करने, वाटर मेनेजमेन्ट पर कार्य करने व नई तकनीक को

	काश्तकारों तक पहुंचाने आदि के बारें में अपने विचार रखें । कुलपति महोदय ने विधायक महोदय द्वारा दिये गये अच्छे सुझावों को भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा अमल करने का आश्वासन दिया साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्यो, वाटर मेनेजमेन्ट संबंधी अनुसंधान कार्य व अन्य किसान उपयोगी कार्यो की जानकारी भी सदन के सामने रखी । उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को पूर्व वर्षो से काफी अधिक मात्रा में बीज वितरण संबंधित जानकारी भी दी जिससे सदस्यों ने संतुष्टि जताई ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1094	**प्रबंध मण्डल सदस्य, श्री गोपाल सिंह द्वारा प्रेषित विचारणीय बिन्दूओं पर विचार विमर्श बाबत।** **माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह द्वारा अच्छे प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उपयुक्त व्यायाम शालाएं, एवं सुप्रबन्धित खेल प्रागंण हो व उनका प्रबन्धन सही तरह से किया जावे ताकि विश्वविद्यालय की खेल प्रतिभाओं को अन्तर्देशिय स्तर पर उभारा जा सके संबंधित विचार रखें ।** डॉ आर.एन.कच्छावा, निदेशक छात्र कल्याण सदन को विश्वविद्यालय छात्रों को दी जा रही खेल सुविधाओं के बारें में विस्तृत रूप से बताया गया साथ ही माननीय श्री गोपालसिंह जी द्वारा दिये गये सुझावों को भविष्य में छात्रों के लिये लागू करने के लिये आश्वासन दिया । **विश्वविद्यालय के क्षेत्र में पडने वाले जिलों के कृषकों को आमंत्रित कर कार्यशालाओं का आयोजन हों ताकि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अनुसंधानों की कृषकों को सहज रूप से जानकारी दी जा सके ताकि वे अपनी उपज से अधिकाधिक वित्तीय लाभ ले सकें ।** माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कृषकों के लिये कार्यशालाओं व कृषि मेलों के बारें में विस्तृत जानकारी दी
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1095	**आदेश कमांक एफ. 1142 / राकृवि / स्था / गुप–3 / 2008 / 690–703 दिनॉक 22.8.2008 की पुष्टि बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि आदेश कमांक एफ. 1142 / राकृवि / स्था / गुप–3 / 2008 / 698–703 दिनॉक 22.8.2008 की पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1096	**Utilization of funds accrued under animal Husbandry diploma programme by the college for its academic and developmental activities.** The matter was discussed at length and resolved that the funds should be deposted in the comptroller account and funds be released by the comptroller on demand basis.

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1097	**To consider and permit Mr. Suresh Choudhary (Entomology), Mr. Yogendra pareek (Entomology) and Mr. Bajrang lal kumawat (Soil Sc) ex-students of M.Sc.Ag. to register in the 11th semester which was deferred by the Academic Council held on 24-7-2008 under resolution No. AU/AC-31/2008-2/33(5)** The matter was discussed at length and resolved that permission be given only to Mr. Suresh Choudhary (Entomology), Mr. Yogendra pareek (Entomology) and Mr. Bajrang lal kumawat (Soil Sc) ex-students of M.Sc.Ag. to register in the 12th semester for one time without making prescedence for future .
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1098	**प्रबन्ध मण्डल / विश्वविद्यालय में चयन समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक / चयन समिति की बैठक में प्रतिदिन वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय 500 / –रू. को परिवर्तित कर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में दिये जा रहे मानदेय के समकक्ष जो कि प्रति सत्र 500 / – रू. तथा प्रतिदिन अधिकतम 1000 / – रू. करने का निर्णय लिया जाय।** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर पारित किया गया कि प्रबन्ध मण्डल / विश्वविद्यालय में चयन समिति के सदस्यों को प्रबन्ध मण्डल की बैठक / चयन समिति की बैठक में प्रथम सत्र में रू0 500 एवं प्रतिदिन एक से अधिक सत्र होने पर अधिकतम 1000 रूपये किया जाता हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1099	**Revised Annual performance Appraisal Report of teachers** The matter was discussed at length and resolved that in revised annual performance appraisal report of teacher II sequence at page no.2- Activites Approved And Accomplished - I Teaching] II- Research] III- Extension and IV - others be changed and before VII A comments of Scheme Incharge be added. Further the Annual performance Appraisal Report of teachers should be filled by teachers every year.

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1100	**अन्य कोई प्रकरण हो तो माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार–विमर्श करने बाबत।** **1. माननीय सदस्य श्री रनलाल डागा ने सदन को अवगतकरवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा करवाये जा रहे अनुसंधान कार्यो का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा हैं । विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा के माध्यम से किसानों के खेतों में ही प्रशिक्षण / प्रदर्शन करना चाहिए जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले व किसानों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।** माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अनुसंधानव प्रसार के बारें में सदन को अवगत करवाया साथ ही सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को 400 करोड रूपये दिये जा रहे हैं इसके तहत अनुसंधान व प्रसार का कार्य किसानों के खेतों में ही जाकर किये जायेगें । साथ ही श्री काशीनाथ पूनीयां, संयुक्त निदेशक कृषि एवं प्रतिनिधि निदेशक कृषि ने भी कृषि विभाग व राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषक मेले व कार्यशालाओं के बारें में जानकारी दी गई । **2. माननीय सदस्यों ने कृषि अनुसंधान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र नौगॉवा में काम करने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों को अभी भी अलवर का ही मकान किराया भत्ता दिये जाने व बहुत कम बस का किराया लिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की क्योंकि 1983 में उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप नवगांव अलवर में पदस्थापित स्टॉफ का मुख्यालय अलवर मानकर ये सुविधाएं दी गई थी ।** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर पारित किया कि कुलसचिव, वित्त नियत्रंक एवं क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा की गठित कमेटी बैठक कर एम.ओ.यू व अंकेक्षण आक्षेप व उस समय व वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय करें । **3. माननीय सदस्यों ने जोबनेर में कार्यरत्त कुछ शिक्षकों व कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं देने की बात रखी ।** सदन को अवगत करवाया गया मकान किराया भत्ता नियमों के अनुरूप आवेदन करने पर नियमानुसार जोबनेर का मकान किराया भत्ता स्वीकृत कर दिया जायेगा ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की धोषणा की गई ।

(पाल सिंह)
कुल सचिव एवं सदस्य सचिव

(प्रताप नारायण)
कुलपति एवं अध्यक्ष